न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1307–पीबीआर/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–7–2011 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 39 बी–103/2010–11/33

.....

कमल जैन पुत्र श्री एस0 एल0 जैन
उम्र 49 वर्ष, व्यवसाय वकालत
निवासी पुराने उच्च न्यायालय भवन
के पास लश्कर, ग्वालियर म0 प्र0

–आवेदक

विरूद्ध

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
जिला ग्वालियर गोरखी प्रागंण
पंजीयन कार्यालय ग्वालियर

अनावेदक

– – – – –

श्री ए0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच0 के अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

– – –

:: **आ दे श** ::

(पारित दिनांक: 21 मई, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नवम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ग्वालियर द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ग्वालियर को पत्र कमांक 585 दिनांक

20–5–2011 इस आशय का भेजा गया कि आवेदक द्वारा रमेश झा से 100/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर विक्रय अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया है, जो कि अपर्याप्त स्टांपित होना पाया गया है, अतः आवेदक की प्रार्थना पर से अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत दस्तावेज परिबद्ध कर पर्याप्त रूप से स्टांपित किये जाने हेतु आपकी ओर इस निर्देश के साथ भेजा जा रहा है कि विधि अनुसार उक्त अनुबंध पत्र को पर्याप्त रूप से स्टांपित कर भिजवाने की व्यवस्था करें । उक्त पत्र के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 39/बी–105/10–11/33 दर्ज किया जाकर दिनांक 21–7–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य रूपये 10,00,000/– अवधारित किया गया, जिस पर 1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क रूपये 10,000/– निर्धारित किया गया और कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 9,900/– की 10 गुना 99,000/– रूपये शास्ति अधिरोपित की गई और कुल रूपये 1,08,900/– 30 दिवस में जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 6–8–2012 को आदेश पारित कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक 1977/2013 में दिनांक 6–5–2013 को आदेश पारित कर राजस्व मण्डल का आदेश निरस्त करते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किये गये विश्लेषण के प्रकाश में विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में निगरानी का निराकरण किया जा रहा है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) स्टाम्प कलेक्टर ग्वालियर ने अन्य प्रकरण कमांक 12 बी–103/11–12/33 म0 प्र0 शासन बनाम रहीसा बेगम में 46,800/– रूपये मुद्रांक शुल्क के स्थान पर दिनांक 28–10–2002 को 100/– रूपये के स्टाम्प लगाये थे । उक्त प्रकरण में

दिनांक 25–1–2012 को आदेश पारित कर 10,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है । इस प्रकरण की स्थिति उक्त प्रकरण के समान है ।

(2) इस न्यायालय के द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1292–पीबीआर/11 में दिनांक 2–1–2012 को आदेश पारित कर स्टाम्प कलेक्टर ग्वालियर द्वारा लगायी गयी मुद्रांक शुल्क की एक गुना शास्ति 8,07,400/– रूपये के स्थान पर शास्ति 1,00,000/– रूपये जमा किये जाने का आदेश दिये गये है, जबकि वर्तमान प्रकरण में 9,900/– रूपये का मुद्रांक शुल्क है, जिस पर उक्त अनुसार शास्ति का समान आधार अपनाये जाने पर 1200/–रूपये अधिकतम होगा ।

(3) समान प्रकार के प्रकरण में लगाये गये अर्थदण्ड के अनुसार म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के नियम 9 के अनुसार समान प्रकार के प्रकरणों में जब एक बार शास्ति न्यायालय द्वारा लगायी जाती है तब समान प्रकार के अन्य प्रकरणों में शास्ति प्रथक नहीं लगायी जा सकती है । अर्थात नियम 9 के अनुसार पूर्व का पारित आदेश पश्चातवर्ती प्रकरण पर उस न्यायालय पर बंधनकारी रहता है ।

(4) अधिकतम पेनल्टी आरोपित किया जाना उचित व न्यायसंगत नहीं है ।

(5) स्टाम्प कलेक्टर द्वारा आवेदक के तर्क श्रवण किये जाने के लिये कोई तिथि नियत नहीं की गई और सुनवाई किये जाने हेतु समय नहीं दिया गया है । आवेदक द्वारा उक्त बिन्दु का अपने निगरानी मेमों के चरण कमांक 5 व 7 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को स्टाम्प कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन स्टाम्प कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया है ।

(6) माननीय उच्च न्यायालय ने आवेदक की रिट पिटीशन कमांक 1977/2013 के चरण 9 में यह निष्कर्ष दिया है कि प्रकरण में प्रस्तुत आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक को स्टाम्प कलेक्टर द्वारा पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । उक्त कारण से आवेदक को श्रवण किये जाने हेतु तथा पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रत्यावर्तित किया जाना उचित है ।

(7) 10 गुना अर्थदण्ड लगाया जाना उचित नहीं है और वह कम भी आरोपित किया जा सकता है । शास्ति आरोपित करते समय न्यायालय द्वारा यह तथ्य देखा जाना आवश्यक है कि आवेदक द्वारा जिस दिनांक को अनुबंध पत्र निष्पादित होना बताया गया है उक्त दिनांक को स्टाम्प नहीं लगाये जाने का उचित व पर्याप्त कारण दर्शाया गया है अथवा नहीं। उचित व पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर शास्ति की स्थिति परिवर्तित रहती है ।

(8) आवेदक को स्टाम्प कलेक्टर द्वारा उप पंजीयक के प्रतिवेदन की कोई जानकारी नही दी गयी । प्रतिवेदन पश्चात आवेदक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तत्पर व तैयार था किन्तु कोई सूचना प्रेषित नहीं की गयी है, जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सूचना भेजा जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रकरण में तर्क सुने बिना आदेश पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है ।

(9) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने ढ़ंग से अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जा सकता है ।

5/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा कर अपवंचन किया गया है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिरोपित शास्ति उचित है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में केवल 99,000/– रूपये अर्थदण्ड जमा कराने का उल्लेख किया गया है, परन्तु उक्त अर्थदण्ड 99,000/–रूपये क्यों और किस प्रकार लगाया गया इसका कोई उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया गया है । इस न्यायालय द्वारा भी दिनांक 6–8–2012 को आदेश पारित करते समय बिना इस बिन्दु पर कोई विचार किये कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक पर अधिरोपित शास्ति 99,000/–रूपये किस प्रकार किन आधारों पर अवधारित की गई, इसका स्पष्ट विवरण अपने आदेश में नहीं दिया गया है, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के

आदेश की पुष्टि की जाकर, निगरानी निरस्त की गई है । इसी कारण से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6–5–2013 को आदेश पारित कर बालकृष्ण (सुप्रा) के प्रकरण में पूर्ण खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकालते हुये कि 10 प्रतिशत शास्ति अधिरोपित करना आज्ञापक नहीं है । बल्कि 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रदान किया गया है और कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का यह विधिक दायित्व है कि वह स्पष्ट सकारण आदेश पारित कर शास्ति अधिरोपित करें, कि 10 गुना शास्ति अधिरोपित करना क्योंकर आवश्यक है, परन्तु उपरोक्त स्थिति पर राजस्व मण्डल एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, इस न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है। इस संबंध में आवेदक की ओर से लिखित तर्क में विभिन्न प्रकरणों का उल्लेख करते हुये स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा समान विषय वस्तु के अन्य प्रकरणों में अत्यधिक कम शास्ति अधिरोपित की गई है, जबकि इस प्रकरण में 10 गुना शास्ति अधिरोपित की गई है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रत्यावर्तित किया जाये कि शास्ति अधिरोपण के संबंध में सकारण एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया जाये।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–2011 अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देकर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, म0 प्र0
ग्वालियर